

कार्यालय आदेश सं- 51/17

रेल परिषद के पत्र सं-पीसी/99/1/07/612 दिनांक 02-09-2002 एवं रेलवे बोर्ड का पत्र सं-पीसी/2008/0/2/612 दिनांक 14-10-2008 के अनुपालन में श्रीमती मंजू देवी गा0प्र0 तकनी./॥ के पक्ष में परिवार कल्याण के अन्तर्गत स्वयं के बन्द्याकरण के परिणामस्वरूप 210 रु0 प्रतिमाह के दर से सेवानिवृति तक भुगतान करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। यह भत्ता जुलाई 2016 देय होगा और यह किसी भी पदोन्नति के साथ समायोजित नहीं किया जायेगा। यह भत्ता सातवे वेतन आयोग के रिपोर्ट के आधार पर संशोधनीय होगा।

कृते मंडल रेल प्रबंधक(का)

वाराणसी

दिनांक 22.05.17

सं ई/एल /पीसी/मंजू देवी

प्रतिलिपि-सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. वमविप्र, वमविई/सा/वाराणसी
2. वमचाप्र/वाराणसी
3. मुकार्याधी विविध विल
4. सीसेई/गा.प्र /वाराणसी
5. का.आ.पुस्तिका
6. संबन्धित कर्मचारी
7. कार्याधी एम पी पी सेल
8. मंडल मंत्री नरमू अजा अजजा एसो./वाराणसी

कृते मंडल रेल प्रबंधक(का)

वाराणसी